भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 4252
दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध

4252. **श्री मनीश तिवारीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों को अपनी प्रतिबंध–सूची में रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों पर इन प्रतिबंधों को लगाने के लिए प्रयुक्त मानदंडों और साक्ष्यों के संबंध में अमरीका से स्पष्टीकरण मांगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमेरिकी सरकार के साथ इस स्थिति से उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में अपनी कंपनियों को संभावित प्रतिबंधों से बचाते हुए अंतर्राष्ट्रीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन से उपाय कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) एवं (ख) जी हां। 30 अक्टूबर 2024 को, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने 21 भारतीय संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए, जिनमें भारत की

19 कंपनियां और 2 व्यक्ति शामिल हैं। यह कार्रवाई अमेरिकी सरकार द्वारा अपने कार्यकारी आदेश (ईओ) 14024 के अनुसरण में की गई है, जिसमें उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ की सरकार के लिए या उसकी ओर से या उसके लाभ के लिए वित्तीय, भौतिक या तकनीकी सहायता या सामान या सेवाएं प्रदान करने, प्रायोजित करने या प्रदान करने का प्रयास किया है।

(ग) एवं (घ) भारत सरकार इस मामले पर अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रही है। अमेरिकी सरकार को बताया गया है कि भारत के पास नियंत्रित और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करने वाला एक मजबूत कानूनी और विनियामक ढांचा है जो परमाणु अप्रसार पर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पूरी तरह से अनुपालन करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, भारत प्रमुख बहुपक्षीय परमाणु अप्रसार निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (वासेनर व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था) में सक्रिय रूप से भाग लेता है और उनकी नियंत्रण सूचियों और दिशानिर्देशों के विकास और समीक्षा में योगदान देता है। भारत परमाणु अप्रसार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1540 के प्रभावी कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करता है। सरकार नियमित रूप से भारतीय कंपनियों को निर्यात नियंत्रणों के बारे में जागरूक करती है, जिसमें नियमित आउटरीच कार्यक्रम भी शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां भारत के कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रही हैं।

*****